

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी0एम0पी0 संख्या-269 / 2019

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जी0ई0 प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, येराडा, पुणे अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री मानस दास, श्री तमल दास, सा0 नॉर्थ ऑफिस पाड़ा, डाकघर एवं थाना-डोरण्डा, जिला-रांची के माध्यम से याचिकाकर्ता

बनाम

लेटीसिया हांसदा और अन्य

..... उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सिद्धार्थ ज्योति रॉय, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए :

03 / दिनांक: 09 / 05 / 2019

संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0 के अनुसार

वर्तमान सी0एम0पी0 को एम0ए0 संख्या 628/2017 की पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है, जिसे 14.03.2019 के आदेश के अनुपालन न करने के लिए डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, जिसके द्वारा प्रतिवादी सं0-10, 11 और 12 पर साधारण प्रक्रिया से नोटिस की तामिला हेतु दो सप्ताह के भीतर अपेक्षिताएं आदि दाखिल करने हेतु कदम उठाने हेतु निर्देश दिया गया था लेकिन अपीलकर्ता कोई कदम उठाने में विफल रहा, इसलिए एम0ए0 संख्या 628/2017 को खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उनके कार्यालय की गलती से निर्धारित समय के भीतर कदम नहीं उठाए जा सके हैं और एम0ए0 संख्या 628/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह साधारण प्रक्रिया द्वारा एम0ए0 संख्या 628/2017 में प्रतिवादी संख्या 10, 11 और 12 पर नोटिस की तामिला हेतु गर्मी की छुट्टी के एक सप्ताह के भीतर अपेक्षिताएं आदि दायर करने के लिए कदम उठाएं।

यदि वह उपरोक्त समय के भीतर ऐसा करता है तो एम0ए0 संख्या 628/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाएगा।

तदनुसार, सी0एम0पी0 सं0-269/2019 का निपटान किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)